राजस्थानसिविलसेवाअपीलअधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1225/2025

सुमन कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सवोएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवंस्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर, राजस्थान।
4. कंचन गहलोत, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूंई, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित–

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओलजा, अधिवक्ता

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण पीएचसी सूंई, बीकानेर से पीबीएम अस्पताल बीकानेर में अपीलार्थी के स्थान किया गया है तथा अपीलार्थी का किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने बिना रिक्त पद के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण पीबीएम अस्पताल बीकानेर में किया है। उनका यह भी कथन है कि पद उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को अधिशेष कर कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पंचायतीराज (अन्तरित गतिविधियां) नियम, 2011 लागू होता है। अतः प्रत्यर्थी

विभाग स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीक्षक पीबीएम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय बीकानेर ने निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा है कि निजी प्रत्यर्थी कंचन गहलोत के कार्यग्रहण करने एवं सुमन कुमारी का नवीन पदस्थापन स्थान आवंटन नहीं होने से चिकित्सालय में एएनएम के दो स्वीकृत पद पर तीन एएनएम कार्यरत हो गए है। अतः उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त करने एवं इस आदेश के क्रम में बिना स्थानांतरण आदेश के अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने का अनुतोष चाहा है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का कहीं पदस्थापन नहीं किया गया है। स्थानान्तरण आदेश के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित है कि कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन रिक्त पद पर नहीं होने या एक पद पर एक से अधिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन होने पर कार्मिक को कार्यग्रहण करवा कर निदेशालय को सूचित किया जावे। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
(सदस्य)